

अनुमति की शर्तें ।

- (i) जहाँ भवन/सुविधा का निर्माण हो स्वीकृत स्वामित्व सिद्ध होकर रहेगा ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापार, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने का किसी से निगम को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी भी प्रकार के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

पंकज खिड़की कैबल आवासीय प्रमोपनामी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 696 दिनांक 03/09/2020

प्राथी विजय मंगल 516 श्री लखनपुरा

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 104 (1) (ग) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानविय कार्यालय में पेश

कर स्विकारण सही रूपसे 9125/- प्रमा

जारीये रसीद क्रमांक 7062/3240, 3241

दिनांक 03/09/2020 को जमा करा ही है ।

P.No: 233 ए ब्लॉक नम्बर 6
बहल्लाल जी का बच्चा, मन्पुरिया

दिनांक 03/09/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

सहायक नगर नियोजक
9314001506